

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/96/2013

दर्ज दिनांक:-19.09.2013

1. अनन्तराम पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ऊंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी स्थित ग्राम भरंगपुर जो खाता सं. 4 जमाबंदी संवत 2067-70 किता 26 कुल रकवा 6.34 है. गत रकवा के मुकाबले नक्शे के अनुरूप नहीं है। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है और न साक्ष्य पेश की है। वादीगण द्वारा गत व हाल नक्शा को पत्रावली पर पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि-

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर वाद ग्रस्त आराजी के गत व हाल नक्शा अक्स को एक दूसरे का सुपर इम्पोज कर वादीगण के हाल नक्शा अक्स में दुरस्ती गत नक्शा के अनुरूप इस प्रकार करे कि जिससे कि किसी पड़ोसी कृषक के अथवा राज्य सरकार के रकवे पर कोई विपरीत प्रभाव न आवे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर